रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2019/माघ 25, 1940
No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2019/MAGHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 117(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 12, 27 और 118 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

(ii) इन नियमों में अन्य स्वरूप में निहित, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम,1989 (इसमें इसके पश्चात मूल नियमों के रूप में उल्लिखित) में :-

(i) नियम 18 में, उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) अप्रैल 2019 की पहली तारिख को और उसके पश्चात, किसी भारी माल वाहन या किसी भारी यात्री मोटर वाहन के चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रापत्र 5क में एक प्रमाणपत्र भी होगा।";

(ii) नियम 31में, उप-नियम (1) में, सारणी में शीर्ष ड. के अंतर्गत "मध्यम और भारी वाहन चालन: चालन सिद्धांत-II" प्रविष्टियों में, शीर्ष 20 के अंतर्गत "भारी माल वाहन/भारी यात्री मोटर यान चलाने के लिए ईधन दक्षता के संबंध में प्रशिक्षण" और इससे संबंधित प्रविष्टियों में अर्थात्:

(क) खंड (घ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(घ) परीक्षण के लिए गति अवरोधकों और बाई या दाई ओर तीन मोड़ों के साथ समुचित मार्ग होगा ।"

[फा. सं. आरटी-11028/14/2016-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को संख्या स.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2019

G.S.R. 117(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 12, 27 and 118 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

2 Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3 The Objections or Suggestions, if any to these draft rules be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……….Amendment) Rules, 2019.

(ii) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (here after referred as the principle rules):-

(i) In rule 18, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) On and after the 1st day of April, 2019, an application for renewal of a licence to drive a heavy goods vehicle or a heavy passenger motor vehicle shall also be accompanied by a certificate in Form 5A.";

(ii) In rule in 31, in sub-rule (1), in the table, in the entries under heading "E. Medium and Heavy Driving: Driving Theory-II", under the heading "20. Training on fuel efficient driving of heavy goods vehicle/heavy passenger motor vehicle" and the entries relating thereto namely;

(a) For the clause (d) the following shall be substituted, namely:-

"(d) Appropriate stretch with speed brakes and three left or right turns, shall be used for testing."

[F. No. . RT-11028/14/2016-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. ……………..(E), dated the………………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.16 14:20:47 +05'30'